न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00061

1. आत्माराम आत्मज देवा जाति धाकड ।
2. मोहन लाल आत्मज देवा जाति धाकड निवासीगण ग्राम किशनपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. शांति बाई बेवा गोपाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 23.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 32/2019 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम किशनपुरा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 322 रकबा 4.59 हैक्टर भूमि स्थित है । प्रार्थिनी उक्त आराजी की खातेदार कृषक है और खसरा नम्बर 322 रकबा 4.59 हैक्टर के चारो ओर तारो की बाड

लगा रखी है जिस पर प्रार्थिनी का कब्जा चला आ रहा है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि से तारों की बाड हटाकर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिनी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थिनी को उसके कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 4.59 में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे, जबरन कब्जा नहीं करे और न ही तारों की बाड को हटावे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज करने एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया ।

5. इसी प्रकार अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य प्रार्थना पत्र 36 ए/2019 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर खसरा नम्बर 342 रकबा 2.88 हैक्टर पर अप्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.12.2019 के द्वारा दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 322 व 342 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे एवं मौके की दिनांक 24.06.2019 के पूर्व की स्थिति यथावत रखने का आदेश पारित किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट खसरा नम्बर 342 रकबा 2.88 हैक्टर आराजी का एकमात्र खातेदार है तथा अपनी आराजी पर हमेशा की भांति आज भी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । खसरा नम्बर 322 रकबा 4.59 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसका पुराना खसरा नम्बर 90 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा दर्ज था जो सेटलमेंट विभाग द्वारा 0.59 हैक्टर आराजी रकबा बढा दिया । उक्त बढा हुआ रकबा मौके पर मौजूद नहीं है । रेस्पोडेन्ट का रकबा सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश एवं क्षेत्राधिकार के बढाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है । वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम किशनपुरा कैथून में खसरा नम्बर 342 रकबा 2.88 स्थित है जिसके एकमात्र अपीलान्ट खातेदार हैं और काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अपीलान्ट की आराजी के लगवा रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 4.59 हैक्टर स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 90 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा थे । सेटलमेंट विभाग ने इसका रकबा 0.59 हैक्टर बढा दिया है जो मौके पर मौजूद नहीं है । रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को परेशान करने की नियत से पैमाईश करवायी है । पैमाईश रिपोर्ट में अपीलान्ट का कब्जा बताया है फिर भी अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है । सेटलमेंट ने बिना अधिकार के रकबा बढाया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट शांतिबाई ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया है कि उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 322 रकबा 4.59 हैक्टर वाके ग्राम किशनपुरा कैथून में स्थित है । अपीलान्ट उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 4.59 हैक्टर पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है । अतः उनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 86 संलग्न है जिसके अनुसार 02 किता की 5.17 हैकटर आराजी शांतिबाई जोजे गोपाल के खाते में दर्ज है । खसरा गिरदावरी की फोटो प्रति भी संलग्न की गई है ।

12. अपीलान्ट के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि उनके खाते में ग्राम किशनपुरा कैथून में खसरा नम्बर 342 की रकबा 2.88 हैक्टर आराजी स्थित है और यह कथन किया है कि सेटलमेंट विभाग ने प्रार्थिया के खाते में 04 बीघा आराजी अधिक दर्ज कर दी है । इस आधार पर प्रार्थिया अप्रार्थी की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है । इस कारण प्रार्थिया को पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी अपीलान्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 2.88 हैक्टर आराजी में हस्तक्षेप नहीं करें । परीक्षण न्यायालय ने दोनों प्रार्थना पत्रों का अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दोनों पक्षों को खसरा नम्बर 322 और 342 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे एवं मौके की दिनांक 24.06.2019 से पूर्व की स्थिति को यथावत रखने के लिए पाबन्द किया है । अपीलान्ट का यह कथन है कि सेटलमेंट विभाग के द्वारा रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 322 का रकबा बढा कर दर्ज किया है जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे हैं । सेटलमेंट विभाग के द्वारा रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया के खाते की आराजी कितनी बढाई गई है और उसमें अपीलान्ट के खाते की आराजी शामिल की गई अथवा नहीं ये समस्त तथ्य साक्ष्य के उपरान्त मूल दावे में तय होगें इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर परीक्षण न्यायालय के द्वारा दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर खसरा नम्बर 322 और 342 के रिकॉर्ड एवं मौके की

यथास्थिति बनाये रखने हेतु जो आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 23.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा